न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 16 / 2012
RCMS Case No. 2012/00145

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी:–
सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. पेपीबाई पत्नी भंवरलाल जाति सीरवी निवासी भगवानपुरा तहसील मारवाड़ जंक्शन

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक 20/2/2019

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बिठौड़ा कला के गत खसरा नम्बर 1125 व 1127 की भूमि डोली बनाम मन्दिर ठाकुर जी बएतमाम पुजारी नारायणदास वल्द हेमदास कौम साद सा0 देह डोलीदार दर्ज थी। उक्त भूमि के हाल खसरा नम्बर 1520 व 1524 बने है। उक्त भूमि का पुजारीयों द्वारा अपने निजी स्वार्थवश हस्तान्तरण किया गया है, जो हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) एवं राजस्थान पीव्लदा ट्रस्ट एक्ट 1952 की धारा 31 के विपरित है। यह हस्तान्तरण नामान्तरकरण संख्या 40 के द्वारा किया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। इसके पश्चात खरीददार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1160 व 1197 के जरिये उक्त भूमि विक्रय की गई है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः ग्राम बिठौड़ा कलां के नामान्तरकरण संख्या 40 एवं उसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 1160 व 1197 को निरस्त करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के समक्ष रेफरेन्स प्रेषित करावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम ग्राम बिठौड़ा कलां की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2019 के खाता संख्या 337 के तहत अन्य खसरा नम्बरान् के साथ खसरा नम्बर 1125 व 1127 की भूमि डोली बनाम मन्दिर श्री ठाकुरजी बएतमाम पुजारी नारायणदास पुत्र हेमदास कौम साद सा0 डोलीदार दर्ज है, उक्त भूमि मन्दिर की खुदकाश्त के रूप में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 9 की टिप्पणी के अनुसार किसी देव मूर्ति का मैनेजर उसका नौकर होता है। अतः एक देव मूर्ति को खुदकाश्त के अधिकार प्राप्त हो सकते है। इसके अतिरिक्तआर0आर0डी0 1994 रामप्रताप बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में यह प्रतिपादित किया कि देवमूर्ति शाश्वत अवयस्क होने से उसके नाम कृषि भूमि उसकी व्यक्तिगत कृषि भूमि मानी जावेगी। ऐसा ही आर0आर0डी0 1996 पेज 181 राज्य बनाम मुकनाराम में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अवैद्य रूप से खातेदार दर्ज व्यक्ति देव मूर्ति की भूमि का खातेदार नही हो जाता है। आर0आर0डी0 1979 पेज 7 माधो बनाम नन्दलाल में प्रतिपादित किया कि किसी देवमूर्ति की भूमि पर खातेदारी अधिकार नही मिल सकते, चाहे काश्तकार का कब्जा बन्दोबस्त के

अति० जिला कलक्टर, पाली

समय पर रहा हो। चूंकि देवमूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है तथा हस्तगत प्रकरण में भूमि मन्दिर की खुदकास्त दर्ज है, जिसका किसी भी रूप में हस्तान्तरण नही किया जा सकता है। इस प्रकार मन्दिर की भूमि का अनाधिकृत रूप से हस्तान्तरण किया गया है, जो विधि सम्मत नही है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, मारवाड जंक्शन द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि मौजा बिठौड़ा कलां के नामान्तरकरण संख्या 40 एवं उसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 1160 व 1197 को निरस्त करावे तथा भूमि पुनः मन्दिर के नाम दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली
अति० जिला कलक्टर, पाली